भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 3275</u>

(जिसका उत्तर शुक्रवार,04अगस्त, 2017/13 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

<u>स्वर्ण संबंधी आयात शुल्क में कमी</u>

3275. डॉ. उदित राजः

श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने स्वर्ण संबंधी आयात शुल्क में दो प्रतिशत की कमी करने हेतु स्वर्ण व्यापारियों से अनुरोध करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने भी स्वर्ण संबंधी आयात शुल्क में कमी का समर्थन किया है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) मंत्रालय का प्रस्ताव निजी व्यक्तियों के लिए स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न रखने की सीमा निर्धारित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)</u>

(क) से (घ) तकः जी हां। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्वर्ण पर आयात शुल्क को कम किए जाने की सिफारिश की है। इस बात पर विचार किया गया लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

(ङ):निजी व्यक्तियों के मामले में स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों को धारण करने की सीमा निर्धारित किए जाने के मामले में इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

****